||

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, गोण्डा।

पत्रांकः 6252 /SBM(G)/फेज-2/ODF+ MODAL VILLAGE/वित्त आयोग/कार्यो की सूचना/ 2025-26 दिनांक- 30|12|25

1-समस्त ग्राम पंचायत सचिव

2-समस्त खण्ड प्रेरक

द्वाराः समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)

जनपदः-गोण्डा।

विषयः- शासन द्वारा ODF PLUS MODAL VILLAGE के निर्धारित लिमिट तथा वित्त आयोग की धनराशि से कम से कम 30% राशि का प्रयोग करते हुए कार्यों को कराते हुए गाँव को शत-प्रतिशत SLWM से संतृप्त हुए वित्त आयोग से कराये गये कार्यों की सूचना के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत को ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम बनाने के लिए ओ0डी0एफ0प्लस के अन्तर्गत 70 प्रतिशत धनराशि एवं वित्त आयोग से कम से कम 30 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करते हुए, ग्राम पंचायत को एस0एल0डब्लू0एम0 से शत-प्रतिशत संतृप्त करना था। इसी प्रकार से वितीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्रामों की कार्ययोजना बनायी गयी थी। जिससे की ग्राम पंचायतें वास्तिवक रूप से एस0एल0डब्लू0एम0 से शत-प्रतिशत संतृप्त हो सकें। जिसके लिए जनपद से कई बार वी0सी0 के माध्यम से व क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पं0) को इस बावत अवगत कराया गया कि वित्त आयोग से कार्ययोजना में लिए गये समस्त कार्य ससमय पूर्ण करायें तथा पूर्ण कराये गये कार्यो की कम्पोनेंट वार सूचना जनपद पर उपलब्ध करायें। जिस हेतु कार्यालय के पत्र संख्या-4679 दिनांकः 13/10/2025 एवं पत्र संख्या-5125 दिनांकः 10/11/2025 द्वारा ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्रामों में वित्त आयोग से कराये गये कार्य एवं अवशेष कार्यो का कम्पोनेंट वार सूचना वांछित प्रारूप पर जनपद पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, जो कि अद्यतन अप्राप्त है। जबकि निदेशालय स्तर से मिशन निदेशक महोदय एवं नोड्ल अधिकारी द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है. की शासन द्वारा निर्धारित पैरामीटर, ODF PLUS के लिए निर्धारित लिमिट एवं वित्त आयोग के राशि का भी प्रयोग करते हुए वितीय वर्ष 2022-23 से अब तक बचे हुए कार्यो को शत प्रतिशत पूर्ण कराते हुए एवं गॉव को परफेक्ट रूप से माडल गाँव के रूप में विकसित करें, एवं वितीय वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना में वित्त आयोग से लिए गये कार्यो एवं पूर्ण कार्यों तथा अवशेष कार्यो की कम्पोनेंट वार वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सूचना प्राप्त न होने पर, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सचिव व सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक विकास अधिकारी(पं0) एवं खण्ड प्रेरक की उदासीनता/लापरवाही मानते हुए, मिशन निदेशक महोदय को अवगत करा दिया जायेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नक- ODF PLUS MODAL VILLAGE कोम्पोनेन्ट चार्ट।
EXCEL FORMATE ODF PLUS WORK STATUS.

जिला पंचायत राज अधिकारी
गोण्डा।

पत्रांक- तददिनांकित ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०), उ०प्र०।
2- जिलाधिकारी महोदया, गोण्डा।
3- मुख्य विकास अधिकारी महोदया, गोण्डा।
4- उपनिदेशक (पं०), देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
5- समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी जनपद-गोण्डा।
6- समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस निर्देश के साथ की अपने विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सचिवों से प्राप्त कर वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर 03 दिवस के भीतर जनपद पर डी.सी. (एस.एल.डब्लू.एम./टेकनिकल) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिला पंचायत राज अधिकारी
गोण्डा।

E/SBM/SBM 2025-26

91 –By Manoj

Scanned with OKEN Scanner